भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 95
गुरूवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक)

रोज़गार केन्द्रों की स्थिति

95. श्री अनिल कुमार यादव मंदादी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में रोजगार केन्द्रों की स्थितियों के संबंध में कोई व्यापक सर्वेक्षण या आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विशेषकर उन रोजगार केन्द्रों के पहलुओं के संबंध में जहां यह देश के युवाओं के लिए संभावित रोजगार अवसर प्रदान करने वाले केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): "रोजगार" समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय है, अतः भारत में रोजगार सेवा, केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय रोजगार सेवा के समन्वय के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का रोजगार महानिदेशालय नीतियों, मानकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।

रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रत्यक्ष प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में कार्य करते हैं।

केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से प्रत्येक राज्य में रोजगार कार्यालयों का तकनीकी मूल्यांकन करते हैं।

इन संयुक्त तकनीकी मूल्यांकनों, राज्य परामर्शों के आधार पर और आधुनिकीकरण तथा डिजिटल क्रांति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा को वर्ष 2015 से राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना में बदल दिया गया है।

सरकार, एनसीएस परियोजना के अंतर्गत, आधुनिक अवसंरचना के सृजन और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम मॉडल करियर केन्द्रों (एमसीसी) की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी) एनसीएस का एक सशक्त मॉड्ल है जो राज्यों तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को रोजगार मेलों के आयोजन, नियोक्ताओं को जुटाने, स्थानीय स्तर पर करियर परामर्श प्रदान करने आदि जैसी करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अब तक, सरकार ने 407 मॉडल करियर केंद्रों को मंजूरी दी है।

*****